# न्यायालय- उपजिलाधिकारी

**जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज**
**कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025055938**
**आवेदक का नाम :- अरूण कुमार**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**
**आदेश तिथि:- 12/09/2025**
**आदेश**

प्रार्थी अरूण कुमार, अश्वनी कुमार, पवन कुमार, शारदा किशोर पुत्रगण जगदीश नरायण व शिव दुलारी पत्नी जगदीश नरायण निवासीगण ग्राम दाऊदपुर सैदापुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या 00056 पर अंकित गाटा संख्या-122 रकबा-2.011हे. में से रकबा-1.0055हे0 मालगुजारी स्थित ग्राम दाऊदपुर सैदापुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नही किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नही है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम दाऊदपुर सैदापुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली के खाता संख्या-00056 प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-20160.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250092539 शुल्क 20160.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नही हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 04.09.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक अरूण कुमार, अश्वनी कुमार, पवन कुमार, शारदा किशोर पुत्रगण जगदीश नरायण व शिव दुलारी पत्नी जगदीश नरायण निवासीगण ग्राम दाऊदपुर सैदापुर परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम दाऊदपुर सैदापुर की खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या 00056 पर अंकित गाटा संख्या-122 रकबा-2.011हे. में से रकबा-1.0055हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 04.09.2025 पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में

आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
PAWAN PATEL
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 12-09-2025 06:57:49 PM